'ए

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 163933 पटना, दिनांक:- 23/9/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जीर्णोद्वार)-143/2011

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों को चिन्हित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के तहत दिनांक- 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास के अधूरे घरों को पूर्ण कराने के लिए परिवारों का सर्वेक्षण कराकर ग्राम सभा से अनुमोदनोपरांत विहित प्रपत्र में सूची को पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रमाणित कराकर भेजने का अनुरोध विभागीय पत्रांक- 144656 दिनांक- 08.04.2013 एवं स्मार पत्र संख्या- 151767 दिनांक- 12.06.2013 द्वारा किया गया था ।

उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया था कि राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में राशि का बजट उपबंध हो चुका है, अतएव इस सूची को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाय, ताकि चालू वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत लक्षित परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके ।

उक्त प्रतिवेदन भेजने में जिलों की शिथिलता को देखते हुए सभी जिला पदाधिकारियों से दिनांक- 07.08.2013 के अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से भी ध्यान आकृष्ट किया गया, किन्तु खेद के साथ कहना है कि गया, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं कैमूर जिला को छोडकर किसी भी जिला द्वारा इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के संबंध में वांछित प्रतिवेदन नही भेजा गया है ।

इस संबंध में पुन: ध्यान आकृष्ट किया जाना है कि वित्तीय वर्ष की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है और इसमें और विलंब होने से चालू वित्तीय वर्ष में योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाये रखा जाना संभव नहीं होगा, अतएव प्राथमिकता के आधार पर इस माह के अंत तक वांछित सूची विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । यदि किसी जिला में ऐसे पीडित परिवार उपलब्ध नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । अन्यथा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जायेगा कि जिला में ऐसे परिवार नहीं है । भविष्य में यदि कोई मामला प्रकाश में आता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जिला की होगी ।

E:\D Drive\Mukesh\800IAY.doc

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में व्यक्तिगत ध्यान देकर विभाग द्वारा निर्धारित निम्न प्रपत्र में पंचायतवार एवं प्रखण्डवार सूची का हार्डकॉपी एवं सी0डी0 30.09.2013 तक निश्चित रूप से भेज दी जाय ।

सर्वेक्षण प्रपत्र

प्रखंड का नामः- पंचायत का नामः-

दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों की सूची

क्र0 सं0	योजना संख्या	वर्ष	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	जाति	बी.पी.एल. सं0 (तत्समय)	प्रति इकाई दर जिसपर स्वीकृति दी गई	भुगतान की गई राशि	अवशेष भुगतेय राशि	भौतिक स्थिति	क्या लाभुक को दूसरा पक्का मकान है (हां/ना)	क्या लाभुक स्थायी सरकारी सेवक हैं (हां/ना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि सूची में वर्णित सभी परिवारों के संबंध में सूचना ग्राम सभा में पढ़कर दे दी गई है और ग्राम सभा का अनुमोदन उक्तवत दर्शाया गया है । अंकित की गई सभी सूचनाएं सही हैं ।

पंचायत सचिव का हस्ताक्षर **ग्राम पंचायत के मुखिया का हस्ताक्षर** **प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 163933 पटना, दिनांक 23/9/13

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी अनुश्रवण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेगे ।

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव